व्यापार कर विभाग
उत्तर प्रदेश

[इनपुट टैक्स क्रेडिट]

इनपुट टैक्स क्रेडिट

प्र0 1- इनपुट टैक्स क्या होता है ?

उ0- किसी व्यापार के संदर्भ में कोई व्यापारी पंजीकृत व्यापारी से खरीद पर जो कर देता है और यदि अपंजीकृत से खरीद करता है तो उस पर जो कर स्वयं जमा करता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं।

प्र0 2- इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ?

उ0- इनपुट टैक्स का लाभ जब व्यापारी को दिया जाता है या उसे व्यापारी की तरफ से जमा कर माना जाता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं।

प्र0 3- वैट अधिनियम में इनपुट टैक्स क्रेडिट किन परिस्थितियों में देय होगा और कितना ?

उ0- इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी वस्तु की बिक्री प्रान्त के भीतर, केन्द्रीय बिक्री, निर्यात के दौरान बिक्री करने पर 100 प्रतिशत तथा कन्साइन्मेन्ट करने पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में सी फार्म से बिक्री करने पर जिस दर से कर निर्धारण किया जाएगा उतना कर का ITC नहीं देय होगा, शेष देय होगा।

प्र0 4- यदि खरीदे माल को उत्पादन, प्रोसेसिंग या पैकिंग में प्रयोग किया जाए तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ? यदि हां तो कितना ?

उ0- यदि खरीदा गया माल उत्पादन / प्रोसेसिंग / पैकिंग में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उत्पादित / प्रोसेस्ड / पैक किये माल को प्रान्तीय, केन्द्रीय, निर्यात के दौरान बिक्री पर 100 प्रतिशत तथा कन्साइन्मेन्ट करने पर केंद्रीय बिक्री कर

अधिनियम में सी फार्म से बिक्री करने पर जिस दर से रनिर्धारण किया जाएगा उतना कर का ITC नहीं देय होगा, शेष देय होगा।

प्र0 5- रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ?

उ0- यदि किसी परिस्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है और व्यापारी क्लेम कर लेता है। जितनी धनराशि अधिक क्लेम करेगा इसे व्यापारी से रिकवर करना होता है। अतैव यह धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कम करना पड़ेगा इसलिए इसे रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं।

प्र0 6- बात समझ में नहीं आयी उदाहरण से समझायें ?

उ0- जैसे कोई व्यापारी 4 ट्रक 20 लाख में पंजीकृत व्यापारी से माह जनवरी 2008 में खरीदा। इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 250000/- कर टैक्स इनवाइस के अनुसार दिया। जनवरी 08 के नक्शे में व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात 250000/- का दावा कर लिया। इसमें 03 ट्रक 18 लाख में बेच दिया जिसपर 12.5 प्रतिशत की दर से रू0 225000/- करदायित्व बनता है। चौथी ट्रक व्यापारी अपने निजी कार्यों में प्रयोग करता है जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है। माह जनवरी 08 के रूपपत्र में व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रू0 250000/- में से रू0 225000/- जो देय कर था उसे कम करके रू0 25000/- इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फारवर्ड दिखाता है और कोई कर जमा नहीं करेगा।

एक ट्रक जिसकी कीमत 5 लाख है। इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 62500/- रूपए इनपुट टैक्स बनता है इसका ITC व्यापारी को देय नहीं है। इस प्रकार जो एडमिसबल इनपुट टैक्स क्रेडट देय होगा वह 187500/-

होता है (250000-62500) । इस प्रकार करदाता को 225000/- - 187500/- = 37500/- कर जमा करना था जबकि उसके द्वारा रू0 25000/- इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फारवर्ड किया है। यह इसलिए हो पाया क्योंकि उसके द्वारा रू0 62500/- का गलत क्लेम कर लिया गया था और यह धनराशि करदाता से रिकवर होनी थी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट में से यह कम होना है। इसलिए रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि रू0 62500/- हुई।

प्र0 7- कैपिटल गुड्स क्या होता है ?

उ0- किसी उद्योग की स्थापना के लिए प्लान्ट, मशीनरी, इक्विपमेन्ट, अपरेटस, टूल, एप्लायंस, इनेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन, कम्पोनेन्ट, स्पेयर पार्टस, एसेसरीज, मोल्ड, डाईज, स्टोरेज टैंक, इक्विपमेन्ट, रिफ्रैक्टरी व मैटीरयल, ट्यूब, पाईप व फिटिंग की आवश्यकता होती है। इन्हें ही कैपिटल गुड्स माना गया है।

प्र0 8- कौन-कौन सी वस्तुएं कैपिटल गुड्स में शामिल नहीं की गयी हैं ?

उ0- एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर यूनिट, एयर कूलर, रेफ्रिजिरेटर, फैन, एयर सरकुलेटर यदि उत्पादन से संबंधित नहीं है तो, ऑटो मोबाईल, वाणिज्यिक वाहन दो पहिया / तीन पहिया वाहन सहित उनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट एसेसरीज रिपेयर हेतु, ऐसा सामान जिसका प्रयोग कार्मिकों की सुविधा हेतु हो, पैसेन्जर / माल ढोने के वाहन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रयोग हेतु कैपिटल गुड्स कैपिटिव पावर प्लान्ट एसेसरी, पार्ट / कम्पोनेन्ट रिपेयर हेतु सम्मिलित नहीं हैं।

प्र0 9- कैपिटल गुड्स पर भी क्या ITC मिलेगा ? यदि हां, तो कितना ?

उ0- हां, 100 प्रतिशत।

प्र0 10- कैपिटल गुड्स में ITC का दावा (claim) किस प्रकार किया जाएगा ?

उ0- तीन बराबर लगातार किश्तों में दावा किया जाएगा। पहली किश्त जिस वर्ष में खरीदा गया है उसके अंतिम टैक्स पीरियड के नक्शे के साथ दावा किया जाएगा।

प्र0 11- क्या नौन वैट गुड्स पर भी ITC देय होगा ?

उ0- नहीं।

प्र0 12- वैट लागू होने की तिथि को जो स्टॉक होगा उस पर ITC देय होगा ?

उ0- हां।

प्र0 13- क्या इनवेन्ट्री देना होगा ?

उ0- हां।

प्र0 14- कब तक ?

उ0- लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर।

प्र0 15- क्या-क्या सूचना देना होगा ?

उ0- आयातित व प्रान्तीय में खरीदे गये माल की अलग-अलग सूची व इन्वेन्ट्री देना होगा।

प्र0 16- डीम्ड परचेज प्राइस किसे कहते हैं ?

उ0- जिस तारीख को वैट अधिनियम प्रभावी होगा उस तारीख को प्रान्त के भीतर से खरीदे हुए माल का जो स्टाक होगा उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा जिस प्राइस पर ITC का

निर्धारण किया जाएगा उस प्राइस को डीम्ड परचेज प्राइस कहेंगे।

प्र0 17- डीम्ड परचेज प्राइस का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

उ0- डीम्ड परचेज प्राइस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा:-

क- यदि व्यापारी के पास पंजीकृत व्यापारी जिससे माल खरीदा गया है उसका जारी किया हुआ बिल, कैश मेमो, हो तो और उस पर कर अलग से चार्ज किया गया हो तो ऐसे बिल / कैश मेमो पर अंकित सेल प्राईस।

ख- यदि व्यापारी स्वयं खरीद पर कर दिया गया है तो प्राइस जिस पर व्यापारी ने स्वयं कर दिया है, वह खरीद प्राईस।

ग- व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत धारा-4 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तु की खरीद प्राईस।

घ- यदि 3क से बिना कर अदा किये खरीदा गया है तो वह खरीद प्राईस।

च- व्यापार कर अधिनियम के प्राविधान के अंतर्गत करमुक्ति प्राप्त इकाई से बिना कर अदा किये खरीदा गया है तो वह खरीद प्राईस।

छ- यदि टैक्स पेड माल के बिल में मूल्य कर सहित अंकित है तो उसका 75 प्रतिशत धनराशि डीम्ड परचेज प्राईस होगी।

प्र0 18- डीम्ड रेट क्या होता है ?

उ0- जिस दर पर डीम्ड परचेज प्राइस पर ITC की गणना की जाएगी उसे डीम्ड रेट कहते हैं ।

प्र0 19- डीम्ड रेट का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा ?

उ0- डीम्ड रेट का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा :-

क- यदि व्यापारी के खरीद का बिल है और उस पर कर अलग से चार्ज है तो वह दर जिस पर कर चार्ज किया गया है वह कर की दर ।

ख- यदि व्यापारी ने स्वयं कर दिया गया है जिस दर से कर जमा किया गया है वह दर

ग- यदि माल टैक्सपेड है और बिल / कैशमेमो पर कर अलग से चार्ज नहीं है बल्कि कर सहित बिल बना है तो उत्तर प्रदेश व्यापारकर अधिनियम के अंतर्गत धारा-3ए व 3डी में जो उस वस्तु पर जो रेट निर्धारित किया गया है वह दर

घ- अन्य सभी मामलों में " निल " होगा ।

प्र0 20- क्या ITC जो डीम्ड प्राइस पर निकलेगा पूरा मिल जाएगा या कोई शर्त रहेगी ?

उ0- व्यापारी द्वारा जो स्टॉक की घोषणा की जाएगी उसमें से उत्तर प्रदेश के भीतर, केन्द्रीय बिक्री या भारत के बाहर निर्यात के दौरान की गयी बिक्री पर शत प्रतिशत तथा कन्साइनमेन्ट करने पर केंद्रीय में सी फार्म से बेचने पर जिस दर से कर निर्धारण होगा उससे अधिक दर से निकाले कर की धनराशि के बराबर इनपुट टैक्स के बराबर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य होगा ।

प्र0 21- यदि स्टॉक में माल का निस्तारण उपरोक्तानुसार नहीं होता है (अर्थात उत्तर प्रदेश के भीतर, केन्द्रीय बिक्री या भारत के बाहर निर्यात के दौरान या कन्साइन्मेन्ट यू0पी0बाहर नहीं किया गया) नहीं किया जाएगा तो क्या ITC देय होगा या नहीं ?

उ0- नहीं, यदि गलत क्लेम किया गया है तो धनराशि रिवर्स हो जाएगी।

प्र0 22- कितने दिन पुराने स्टाक पर ITC मिलेगा ?

उ0- वैट प्रभावी होने के 6 माह पहले तक खरीदे हुए माल के स्टॉक पर ITC देय है।

प्र0 23- क्या वैट लगने के बाद यदि कोई व्यापारी करयोग्य होता है और उस समय उसके पास जो स्टाक होगा उस पर भी ITC देय होगा ?

उ0- हां।

प्र0 24- कितने पुराने स्टॉक पर ITC देय होगा ?

उ0- छ: माह पुराने परन्तु वैट लागू होने के पहले के स्टॉक पर देय नहीं होगा।

प्र0 25- ITC की गणना कैसे की जाएगी ?

उ0- इनपुट टैक्स = $\frac{\text{सेल प्राईस X rate}}{100 + \text{rate}}$ (rate=vat rate)

प्र0 26- स्टॉक पर ITC कितना एडमिसेबल होगा ?

उ0- जब स्टॉक का माल प्रान्त के भीतर, केन्द्रीय बिक्री के दौरान या भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री की जाती है तो 100 प्रतिशत यदि कन्साइनमेन्ट बिक्री की जाती हैसी फार्म

से बिक्री होने पर कर की दर से देय धनराशि को छोडकरके शेष धनराशि के बराबर ITC देय होगा।

प्र0 27- कम्पाउण्ड स्कीम धारक के द्वारा यदि स्कीम समाप्त हो जाती है तो स्टाक पर क्या ITC देय होगा ?

उ0- हां।

प्र0 28- यदि करयोग्य माल से करमुक्त माल का निर्माण होता है या प्रोसेसिंग या पैकिंग होती है तो ITC देय होगा ?

उ0- केवल उसी स्थिति में देय होगा जबकि निर्मित माल का भारत के बाहर निर्यात होगा।

प्र0 29- आढतियों द्वारा कर जमा किया जाएगा। टैक्स इनवाईस प्रिंसिपल को नहीं देगा तो ITC प्रिंसिपल किस आधार पर क्लेम करेगा ?

उ0- आढतिया द्वारा कर जमा का प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर प्रिंसिपल द्वारा ITC क्लेम किया जाएगा।

प्र0 30- वैट लगने पर यदि कोई व्यापारी करदेय होगा तो उसे 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देने का प्राविधान है। तीस दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा। इस अवधि में व्यापारी टैक्स इनवाईस नहीं जारी करेगा न ही खरीद पर टैक्स इनवाईस प्राप्त करेगा तो ITC का नुकसान होगा ?

उ0- ITC का नुकसान नहीं होगा बल्कि सेल इनवाईस के आधार पर ITC दिया जाएगा।

प्र0 31- यदि टैक्स इनवाईस खो जाए, नष्ट हो जाए या defaced हो जाए तो ITC किस प्रकार क्लेम किया जाएगा ?

उ0- कर निर्धारक अधिकारी के द्वारा दिया गये जमा का प्रमाण पत्र के आधार पर ITC क्लेम किया जा सकता है।

प्र0 32- वैट प्रभावी होने के दिन स्टाक पर ITC किस प्रकार क्लेम किया जाएगा ?

उ0- 6 बराबर किश्तों में क्लेम होगा।

प्र0 33- पहली किश्त कब से प्रारम्भ होगी ?

उ0- वैट प्रभावी होने की तिथि से चौथे महीने के टैक्स रिटर्न में पहली किश्त को क्लेम किया जाएगा।

प्र0 34- वैट प्रभावी होने के बाद करयोग्य व्यापारी के उस तिथि के स्टाक पर ITC प्रथम किश्त का दावा कब होगा ?

उ0- रजिस्ट्रेशन जारी होने के माह के तीन माह के बाद के टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न में पहली किश्त का दावा होगा।

***